

शिक्षा - विभाग
राजस्थान सरकार

कार्यालय, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ ()निकाशि/निस/2016-17/ 310

दिनांक:- 13.2.2017

निदेशक,
जन सम्पर्क विभाग,
जयपुर ।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए निजी महाविद्यालयों की
NOC हेतु ऑनलाईन पोर्टल को पुनः खोलने की
विज्ञप्ति बाबत ।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान के दो राज्य
स्तरीय समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर) के सभी संस्करणों में दिनांक
14.02.2017 को प्रकाशित कराने का श्रम करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति की 10 प्रतियां

भवदीय


आयुक्त

प्रतिलिपि वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु।


13/02/17
संयुक्त निदेशक (नि.सं.)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ()निकाशि/निस/2016-17/310

दिनांक:- 13.02.2017

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए विलम्ब शुल्क 75000/- रुपये सहित आवेदन करने हेतु NOC ऑनलाईन पोर्टल दिनांक 15.02.2017 से दिनांक 20.02.2017 तक पुनः खोला जा रहा है।

इस हेतु आवेदकों को कालेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट (www.dce.rajasthan.gov.in) के "NOC For Private Colleges" लिंक पर क्लिक करना होगा। विस्तृत जानकारी इस विभाग की वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in के "Act & Rules" के "Policies & Guidelines" लिंक पर देखें।

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान,